

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) म०प्र० भोपाल

क्रमांक/उत्पा/निस्तार/विस/3028

भोपाल, दिनांक 18/9/2006

प्रति,

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश

विषय:- रेटेड पास बंद किये जाने बाबत ।

---00---

आपको विदित है कि म०प्र० शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-22-93/10-3 दिनांक 26-12-1994 द्वारा जारी की गई नई निस्तार नीति, जो कि प्रदेश में 1 जुलाई 1996 से लागू की गई है, में वनोपज बिक्री हेतु रेटेड पास के उपयोग का कोई प्रावधान नहीं है, परन्तु ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ वन मंडलों में 1 जुलाई 1996 के बाद भी रेटेड पास जारी किये गये हैं ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन वन मंडलों में अभी तक वनोपज बिक्री हेतु रेटेड पास का उपयोग हो रहा है, उसे तत्काल बंद किया जाए ।

सही-मुहम्मद हाशिम
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल